

184

291

NSU

पल्लवों पर
आदि - हरे

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म०प्र० राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रोवा म०प्र०
निगरानी प्रकरण क्रमांक 1/2012

R-2589-J112

दोष की रिपोर्ट उपलब्ध
नहीं मिलने पर चर्चा
ही जायेगी



क्रमांक 2095

सेक्टर पोस्ट द्वारा आज्ञा लिक केवट तनय हाटकु ग्राम देवरा, तहसील देवसर जिला सिरौली म०प्र०
दिनांक 26-7-12 को प्राप्त

राजस्थान न्यायिक सेवा ग्यालियर

वनाम

आवेदक निगरानीकर्ता

म०प्र० शासन
अधिवक्ता श्री सन्तोष अश्वी
रत्नमाला द्वारा प्रस्तुत
सीवा. दि. 19-7-2012
19-7-12

अनावेदक गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर क्ले० जिला
दिवस 000 सिरौली दिनांक 26-4-12 बावत
प्रकरण क्र० 298 निगरानी/10-11

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मूराजस्व
संहितासन 1959ई०

संदीप मे तथ्य


ग्राम देवरा तहसील देवसर जिला सिरौली स्थित मूमिन० 82/0-62है०
143/1-37है० आवेदक की पुस्तानो मूमि है जिसके मूमिस्वामी पूर्व में आवेदक के
पिता हाटकु वाद में आवेदक परन्तु हल्का पटवारी से विवाद होने की वजह
से हल्का पटवारी आवेदक को गाँव हाटकु चले जाने बावत मूठठी रिपोर्ट
पेश कर दिया जिस पर तहसील कोर सम्यक रीति से जांच कराये आवेदक की
मूमि को शासकीय दर्ज किये जाने बावत आदेश जरिये प्रकरण क्र० 108/74/2000-01

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-2589-I/12

जिला-सिंगरौली

शालिक केवट/शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रजनीश मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 298/निग0/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 26.4.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 08.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम.शर्मा), सदस्य </p>	

